न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–259 / 16 (आरसीएमएस नं. 2016 / 00074)

1. शंकर पुत्र श्री श्योजीराम, उम्र 16 वर्ष, जाति मीना नाबालिंग जरिये प्राकृतिक संरक्षक बड़ी बहन (अविवाहित) ललिता कुमारी पुत्री श्री श्योजी, उम्र 20 वर्ष, जाति मीना निवासी ग्राम गोकुलपुरा लसाडिया, पटवार हल्का रायसर पालावाला, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट

बनाम

1. भौंरी देवी उर्फ रूपा पुत्री श्री धन्नालाल पत्नी नाथूराम, उम्र 55 वर्ष, जाति मीना, निवासी तलाई वाली ढाणी, ग्राम सिरौली, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. छोटू पुत्र श्री गणेश, उम्र 45 वर्ष, जाति मीना, निवासी ग्राम बूडथल, तहसील बस्सी जिला जयपुर।
3. अर्जुन पुत्र श्री गणेश, उम्र 55 वर्ष, जाति मीना, निवासी ग्राम बूडथल, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
4. छीतर पुत्र श्री गणेश, उम्र 50 वर्ष, जाति मीना, निवासी ग्राम बूडथल, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
5. शांति पुत्री श्री गणेश पत्नी श्री कैलाश, उम्र 45 वर्ष, जाति मीना, निवासी ग्राम जामडोली, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
6. बाबूडी पुत्री श्री गणेश पत्नी श्री रामेश्वर, उम्र 35 वर्ष, जाति मीना, निवासी ग्राम डयोढा डूँगर, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
7. राजन्ती पुत्र श्री गणेश पत्नी श्री सीताराम, उम्र 40 वर्ष, जाति मीना, निवासी ग्राम जौल, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
08. रामचन्द्र पुत्र श्री भूरा उम्र 45 वर्ष, जाति मीना, निवासी ग्राम सिरस नाका चौकी, तहसील निवाई जिला टोंक।
09. लालाराम पुत्र री भूरा उम्र 55 वर्ष, जाति मीना, निवासी ग्राम सिरस नाका चौकी, तहसील निवाई जिला टोंक।
10. लच्छी पुत्री श्री भूरा पत्नी श्री शिवराज उम्र 35 वर्ष, जाति मीना निवासी ग्राम भरथला बीड़, तहसील निवाई जिला टोंक।
11. मन्नी पुत्री श्री भूरा पत्नी श्री हरचन्द, उम्र 55 वर्ष, जाति मीना निवासी ग्राम गुढा, तहसील निवाई जिला टोंक।
12. रतनी पुत्र श्री भूरा पत्नी श्री रामनारायण, उम्र 5 2 वर्ष, जाति मीना, निवासी ग्राम भरथला बीड़ तहसील निवाई जिला टोंक।
13. लाडा पुत्री श्री भूरा पत्नी श्री बजरंग, उम्र 50 वर्ष, जाति मीना निवासी ग्राम मूडया, तहसील निवाई जिला टोंक।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 16.09.2019

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर के आदेश दिनांक 12.02.2016 (प्रकरण संख्या 22 / 2015) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि ग्राम गोकुलपुरा लसाडिया, ग्राम पंचायत रायसर पालावाला में स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 144 रकबा 0.02 बीघा 4 बीस्वा, खसरा नम्बर 145 रकबा 15 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 145/362 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 198 रकबा 21.07 बिस्वा, खसरा नम्बर 200 रकबा 0.18 बिस्वा, खसरा नम्बर 222 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 143 रकबा 0.04 बिस्वा, खसरा नम्बर 218 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा कुल खसरा नम्बर 8 कुल रकबा 47 बीघा 16 बिस्वा में अपीलार्थी का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार अपनी ही मॉ तरबीनी देवी पत्नी श्योजी के साथ दर्ज है तथा शेष 1/2 हिस्सा जगन्नाथ पुत्र लादू के नाम दर्ज था, उक्त खातेदार की मृत्यु दिनांक 12.09.2015 को हो गई थी, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने तहसीलदार बस्सी के समक्ष दिनांक 10.12.2015 को स्वयं को मृतक खातेदार जगन्नाथ (मृतक लाऔलाद फौत) के भाई धन्ना पुत्र श्री गोदू की पुत्री बताकर जगन्नाथ के हिस्से की भूमि 1/2 का नामान्तरकरण खोले जाने बाबत एक प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब की, पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 10.12.2015 को रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय को भेजी, दिनांक 16.01.2016 को मृतक खातेदार जगन्नाथ की विरासत का अधिकार रखने वाले समस्त वारिसान को तलब किया गया, दिनांक 22.01.2016 को उक्त मृतक खातेदार जगन्नाथ पुत्र गोदू के वारिसान की जॉच कर रिपोर्ट पेश करने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक को आदेशित कर आगामी पेशी दिनांक 10.02.2016 दी गई, दिनांक 10.02.2016 को अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र नामान्तरकरण स्वयं के नाम खोलने बाबत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात पेश किया, उसी पेशी पर भू––अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 09.02.2016 बाबत जगन्नाथ पुत्र गोदू की विरासत की जांच रिपोर्ट व सजरा खानदान न्यायालय में पेश हुई तथा अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 12.02.2016 को मृतक जगन्नाथ पुत्र गोदू के द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारी मानकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 भतीजी, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 7 भानजा व भानजी, रेस्पोडेन्ट संख्या 8 लगायत 13 भानजा भानजी मानकर इन तीनों द्वितीय श्रेणी के कथित वारिसान के नाम 1/3, 1/3, 1/3 हिस्से का नामान्तरकरण खोले जाने के गैर कानूनी व विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त मृतक खातेदार जगन्नाथ पुत्र गोदू जो कि नाऔलाद फौत हुआ था के सम्पूर्ण विरासत की जांच करने में जल्दबाजी की है। उन्होने यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 10.02.2016 को प्रस्तुत की गई भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट जो दिनांक 09.02.2016 को तैयार की गई है, पर आधारित किया है, उक्त भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट में वर्णित सजरा खानदान व ग्राम पंचायत द्वारा मृतक खातेदार जगन्नाथ पुत्र गोदू की प्रमाणित विरासत के सजरा खानदान मे बहुत अन्तर है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम पंचायत के द्वारा प्रमाणित सजरा खानदान पर गौर न

संभागीय आयुक्त
जयपुर

करके गंभीर कानूनी भूल की जो निरस्त होने योग्य है। उन्होने यह भी कथन किया है कि प्रकरण के सभी पक्षकारान जाति से भी मीना होने के कारण अनुसूचित जनजाति के वर्ग के सदस्ये है, मृतक जगन्नाथ पुत्र गोदू भी मीना जाति का ही था, वह भी अनुसूचित जनजाति वर्ग से ही है तथा मीना जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2(2) स्पष्टत्या ट्राईब(जनजाति) पर उक्त अधिनियम को लागू होने से अपवर्जित करती है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अधिनियम की धारा 2(2) को अनदेखा कर उक्त अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारियों के नाम नामान्तरकरण खोले जाने का निर्णय देकर स्पष्टतः तथा उक्त अधिनियम के प्रावधानों उल्लंघन किया है, जो विधि के विपरित होने से निरस्त होने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अनुसूचित जनजातियों में उत्तराधिकार के लिये जाति विशेष में प्रचलित प्रथा व रीति–रिवाजों एवं परम्पराओं के आधार पर ही वास्तविक उत्तराधिकारी तय होते है, मीना समाज में प्रचलित रिति–रिवाजों के अनुसार विवाहित पुत्रीयों, भतीजीयों भानजीयों को कोई अधिकार नही होता है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के पिता की बहिन अर्थात बुआ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 भौरीदेवी उर्फ रूपा के नाम जगन्नाथ मृतक के हिस्से की भूमि में 1/3 हिस्से का नामान्तरकरण खोले जाने का आदेश पारित कर जाति (समाज) में प्रचलित रिति–रिवाजों व परम्पराओं के विपरित निर्णय पारित किया है जो कि विधि के विपरित होने से निरस्त होने योग्य है। उन्होने कथन किया है कि मीना जाति की रिति–रिवाजों व परम्पराओं के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कथित हिस्से 1/3 का हकदार केवल अपीलान्ट ही है, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 भौरीदेवी उर्फ रूपा 55 वर्ष की है, उसकी शादी करीब 45 वर्ष पूर्व हो चुकी है, शादी के पश्चात् वह अपने ससुराल ग्राम सिरौली तहसील सांगानेर में रह रही है उसका इस जमीन से कोई वास्ता नही है, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पुत्र–पुत्रियों के जन्म के समय जामना व शादी ब्याह के समय भात देकर अपीलान्ट के पिता श्योजी पुत्र धन्ना ने सामाजिक प्रथाओं व परम्पराओं के अनुरूप अपना सम्पूर्ण दायित्व पूर्ण कर चुके है, अब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का अपीलान्ट की पैतृक भूमि में कोई हक व अधिकार शेष नही रहा है, इसलिये भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को 1/3 हिस्सा देकर अधीनस्थ न्यायालय ने गंभीर कानूनी त्रुटि कारित की है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु दिनांक 19.02.2016 को आवेदन किया जिस पर नकल तैयार होकर दिनांक 22.02.2016 को प्राप्त हुई तथा नियमानुसार अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष 60 दिवस में प्रस्तुत होनी चाहिये लेकिन अपीलान्ट अव्यस्क है उसकी बड़ी बहन की उम्र भी 20 वर्ष है, दोनों जयपुर में रहकर पढ़ाई कर रहे है नकल मिलने के बाद मार्च, अप्रेल व मई में उनकी परीक्षाये हो रही थी इसलिये न तो बड़े बुजुर्गो से सलाह ले पाये, ना ही वकील से मिल पाये

संभागीय आयुक्त
जयपुर

जिससे निर्धारित अवधि में अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत नही कर पाये, अपील पेश करने में हुये विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से अपील के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.02.2016 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में गलत व मनगढंत तथ्य अंकित किये है क्योंकि अपीलान्ट द्वारा जानबुझकर अपील देरी से प्रस्तुत कि गई है व अब परीक्षाओं का बाहना कर उक्त अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने की प्रार्थना कर न्यायालय हाजा को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, अपीलान्ट ने अपने तथ्यों के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश नही किये है जहॉ तक परीक्षा का टाईम टेबल भी पेश नही किया है, अपीलान्ट व उसकी बहन लगातार तीन माह तक परीक्षाओं में व्यस्त रहे है, न ही उन्हे कोई अन्य व्यस्तता रही, अपील स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है, इस बिन्दू पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी के पूर्व खातेदार गोदू तीन पुत्र धोंकला, धन्ना व जगन्नाथ व दो पुत्रीया भूरीदेवी व पॉची हुऐ जिनमें से पुत्र धोंकला एवं जगन्नाथ नाऔलाद फौत हुए है तथा अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 13 पूर्व खातेदार गोदू के ही वारिसान एवं वंशज है तथा पैतृक भूमि में सभी वारिसान का जन्म से हक व अधिकार निहित हो जाता है वादग्रस्त आराजी का खातेदार जगन्नाथ नाऔलाद और बिना कोई वसीयत फौत हुआ है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.02.2016 विधि सम्मत पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट एक ही परिवार के सदस्य है तथा हस्तगत प्रकरण में स्व. जगन्नाथ पुत्र गोदू के हिस्से की आराजी विवादग्रस्त आराजी

संभागीय आयुक्त
जयपुर

है चूँकि जगन्नाथ उक्त आराजी की वसीयत बनाये बिना ही नाऔलाद फौत हुआ है एवं उसके प्रथम श्रेणी का कोई वारिसान नही होने पर मृतक खातेदार जगन्नाथ के द्वितीय श्रेणी के वारिसान के नाम नामान्तरकरण किये जाने के आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.02.016 को यथावत रखा जाता है।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 16.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर